रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936
No. 921] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

**का.आ. 1121(अ).—**यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2247 (अ), तारीख 28.09.2011, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के माधोपुरा जंक्शन के पास 298.075 कि.मी. (रींगस) से 341.07 कि.मी. (सीकर) (रींगस से सीकर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' संदर्भित किया गया है ) को सौंपा हैः

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, .2011 और सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधन किए गए हैं ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में डीबीएफओटी आधार पर पर बीओटी (वार्षिक) आधार पर रारा–11 के रींगस से सीकर सेक्शन के माधोपुरा जंक्शन के पास 298.075 कि.मी. से 341.047 कि.मी. तक (सीकर कस्बे के बाद) (प्रस्तावित चैनेज 298.075 कि.मी. से 341.962 कि.मी. तक) को चार लेन का बनाए जाने की परियोजना के अधीन चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 36.287 कि.मी. (जिसमें 36.182 कि.मी. सड़क और 105 मीटर संरचना, जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, और 1.05 कि.मी. समकक्ष लम्बाई शामिल है) हेतु सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रुपए या अधिक की लागतवाले बाइपासों, जिनकी

लम्बाई 7.600 कि.मी. है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्‌ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात :

**सारणी 1**

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) | 4.20 |

1. नीचे उद्‌ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल शोध्य और संदेय होगाः

| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है | दर जिसपर शुल्क संदेय है |
|---|---|---|
| सीकर जिले में अखेपुरा गांव के पास 324.638 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (वर्तमान चैनेज कि.मी. 323.288) | 36.182 कि.मी. (नीचे पैरा–2 में इंगित संरचना की 105 मीटर लम्बाई को छोड़कर) | ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का 100% |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए, ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को 10 के समीकरण कारक से गुणा करके संरचनाओं की लम्बाई को राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में बदलकर, निम्नलिखित शुल्क की निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगाः

| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | स्ंरचना की लम्बाई (कि.मी. में) जिसे सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किया जाना है | सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.) में | दर जिसपर शुल्क संदेय है |
|---|---|---|---|
| सीकर जिले में अखेपुरा गांव के पास 324.638 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (वर्तमान चैनेज कि.मी. 323.288) | 0.105 | 1.05 | ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का 100% |

*ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :—

| | (डिजाइन) चैनेज | | लम्बाई (मीटर) |
|---|---|---|---|
| | कि.मी. से | कि.मी. तक | |
| 1. | 331.375 | 331.480 | 105.00 |

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागतवाले निम्नलिखित बाइपास के उपयोग हेतु, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | बाइपास का नाम और चैनेज | बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है | दर जिसपर शुल्क संदेय है |
|---|---|---|---|
| सीकर जिले में अखेपुरा गांव के पास 324.638 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (वर्तमान चैनेज कि.मी. 323.288) | रारा–11 के 315.450 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 315.450 कि.मी.) से शुरू होकर 322.025 कि.मी (डिजाइन चैनेज 323.050 कि.मी.) पर मिलते हुए | 7.600 | ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का 150% |

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाएगा अर्थात्:

| संदेय धन राशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
|---|---|---|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई | पचास | संदाय की तारीख से एक मास |

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें तब तक टोल प्लाजा पार करने के लिए राजमार्ग का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे यांत्रिक वाहन के ड्राइवर, या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ले जाने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के 10 गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. सभी परिभाषाएं जिनमें यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि शामिल है नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. उपरोक्त सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, कम–से–कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक–एक समाचारपत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 366.50 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अर्जन, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई आदि जैसे कार्यकलाप अभी पूरे किए जाने शेष है। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए जानेवाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/647/सीओ/11–12/जीसी/(रींगस सीकर)बीओटी (वार्षिकी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2014

**S.O. 1121(E).—**Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2247 (E) dated 28/09/2011 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 298.075 (Reengus) near Madhopura Junction to km. 341.047 (Sikar) (Reengus to Sikar Section) of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010,G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October,2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December,2013 and G.S.R 26(E) dated 16th January,2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 36.287 km. {including 36.182 km. road and 105 m. of structure (having length more than 60 m.) with equivalent length of 1.05 km. } (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at one and one half times the base rate for bypass length of 7.600 km. costing Rupees Ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, under the project of Four Laning of Reengus to Sikar section from km. 298.075 Near Madhopura Junction to km. 341.047 (after Sikar Town) of NH-11 (Proposed Chainage from kilometre 298.075 to kilometre 341.962) on BOT(Annuity) basis on DBFOT basis in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

**Table 1**

| **Type of vehicle** | **Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

| Location of Toll Plaza (chainage) | Length (in km.) for which Fee is payable | Rate at which fee is payable |
|---|---|---|
| Km. 324.638 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 323.288) Near Akhepura village in Sikar district | 36.182 (Excluding 105 m length of structures indicated in Para-2 below) | 100% of the base rates mentioned in Table 1 above |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m. at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 :

| Location of Toll Plaza (chainage) | Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length | Equivalent Road length (in km.) | Rate at which fee is payable |
|---|---|---|---|
| Km 324.638 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 323.288)<br>Near Akhepura village in Sikar district | 0.105 | 1.05 | 100% of the base rates mentioned in Table 1 above |

* The details are as under:-

| | Chainage (Design) | | Length (m) |
|---|---|---|---|
| | From Km. | To Km. | |
| 1 | 331.375 | 331.480 | 105.00 |

3. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

| Location of Toll Plaza (chainage) | Names of Bypass with chainage | Length of bypass (in km) for which additional fee is payable | Rate at which fee is payable |
|---|---|---|---|
| Km. 324.638 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 323.288) Near Akhepura village in Sikar district | Palsana Bypass taking off at km. 315.450 (Design Chainage km. 315.450) and joining at km. 322.025 (Design Chainage km. 323.050) of NH-11 | 7.600 | 150% of the base rates mentioned in Table 1 above |

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|---|---|---|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys | Fifty | One month from date of payment |

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 366.50 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/647/CO/11-12/GC- (Reengus-Sikar) BOT (Annuity)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.